पटना में दिनांक–25 जुलाई, 2014 शुक्रवार को अपराह्न 07:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गृह (आरक्षी) विभाग		
1.	बिहार पुलिस में "बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन" के नाम से एक अनुसूचित जनजाति महिला सशस्त्र बटालियन के गठन एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 992 (नौ सौ बेरानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	गृह विभाग		
2.	दिनांक–18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, की न्यायिक जाँच हेतु गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग द्वारा दिनांक–24.03.2014 को अंतिम जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किये जाने के पश्चात् जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग		
3.	राजभवन, बिहार परिसर अन्तर्गत निर्मित "राजेन्द्र मंडप" के लिए ₹ 577.823 लाख का प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पुनः पुनरीक्षित करते हुए ₹ 738.055 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	उद्योग विभाग		
4.	बिहार उद्योग सेवा संवर्ग के कार्यकारी प्रबंधक (वेतनमान पी०बी०–3, 15,600–39,100 ग्रेड पे–6600) से उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (वेतनमान पी०बी०–3, 15,600–39,100 ग्रेड पे–7600) के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	उद्योग विभाग		
5.	मेसर्स अशोक पेपर मिल्स लि०, रामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार इकाई) के पुनर्वास हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्कीम दिनांक–08.07.1996 के आलोक में इसे नई इकाई मानते हुए वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अन्तर्गत relief & concession की स्वीकृति देने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. सरकारी सेवकों द्वारा सामान्य भविष्य निधि से लिए जाने वाले अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की वसूली विनिर्धारित 24 (चौबीस) किश्तों से बढ़ाकर अधिकतम 36 किश्तों में करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

7. सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में जन–सम्पर्क संबंधी समस्त कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से तथा जन–सम्पर्क एजेंसी का चयन निविदा के द्वारा कराने के संबंध में। — **7. संलेख के विषय, प्रथम पारा की पाँचवी पंक्ति, कंडिका 1 (I) की दूसरी पंक्ति में एवं कंडिका 4 की पंक्ति से "समस्त" शब्द के विलोपन के साथ स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधान के तहत रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या–1148 दिनांक–20.07.2011 द्वारा 20 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के आधार पर वेतन बैण्ड 9,300–34,800/–+ ग्रेड वेतन 5400/–रू० में स्वीकृत द्वितीय एम०ए०सी०पी० को निरस्त करते हुए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अन्तर्गत 24 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के संबंधित कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000–15,200/–रू० (पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैण्ड–3 ग्रेड वेतन 6600/–रू०) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

9. बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 38 जिलों की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को प्राप्त होने वाली कुल ₹ 758.92 करोड़ (सात अरब अनठावन करोड़ बानवे लाख रूपये) का विकास अनुदान स्वीकृत करने तथा प्रथम किस्त की अनुमान्य राशि राज्य योजना से विमुक्त करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. पटना महायोजना, 2031 हेतु पटना आयोजना क्षेत्र के घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

11. श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वारिसनगर, समस्तीपुर सम्प्रति फतेहपुर, गया को सेवा से बर्खासत करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

12. दिनांक–01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास का छत निर्माण कराकर पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित "मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" के तहत प्रति लाभूक ₹ 30,000 (तीस हजार रूपये) अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 450.00 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ रूपये) वहन करने की स्वीकृति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना पर रू० 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रूपये) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

14. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में अनुदान की राशि 1500/–रू० से बढ़ाकर 3000/–रू० करने तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 4400.00 लाख (चौवालीस करोड़ रूपये) के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

15. दिनांक–08.07.2014 को रोहतास जिला के रोहतास थानान्तर्गत हुई पुलिस फायरिंग में 02 (दो) मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति मृतक 5–5 लाख रूपये एवं 08 (आठ) घायल व्यक्तियों में से 02 (दो) गंभीर रूप से घायल को प्रति व्यक्ति 50–50 हजार रूपये की दर से तथा सामान्य रूप से 06 (छः) घायल को प्रति व्यक्ति 25–25 हजार रूपये अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

गृह विभाग

16. दिनांक–19.07.2014 को औरंगाबाद जिलान्तर्गत अति उग्रवाद प्रभावित मदनपुर प्रखंड/थाना में हुई विधि–व्यवस्था की गंभीर समस्या एवं उसके फलस्वरूप पुलिस फायरिंग की घटना में मृत दो व्यक्तियों के आश्रितों को पाँच–पाँच लाख रूपये प्रति मृतक एवं तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पचास–पचास हजार रूपये प्रति घायल की दर से राशि का भुगतान विशेष परिस्थिति में अनुग्रह–अनुदान के रूप में प्रदान करने के संबंध में।	16. स्वीकृत।